डेबिट कार्ड से ठगे गए 10,000 रुपये पीड़ित के खाते में कराए गए वापस

श्रावस्ती 4 अप्रैल (भि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर सेल थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा ठगी के शिकार पीड़ित को राहत दिलाते हुए सराहनीय कार्य किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली भिनगा श्री राज प्रकाश सिंह एवं साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 मनोज कुमार यादव मय टीम के प्रयास से शिकायतकर्ता मनीष कुमार के बैंक खाते से डेबिट कार्ड के माध्यम से ठगे गए कुल 10,000/– (दस हजार) रुपये सफल कार्यवाही करते हुए वापस कराए गए। आवेदक मनीष कुमार पुत्र राज प्रकाश निवासी गलकटवा थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती द्वारा दिनांक 25.01.2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार अज्ञात फ्रॉडस्टर द्वारा डेबिट कार्ड के माध्यम से 10,000 रुपये की ठगी कर ली गई थी। जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली भिनगा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित माध्यमों से समन्वय स्थापित कर संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रावस्ती 4 अप्रैल (भि0टा0सं0)। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी नियंत्रण व कार्यवाही के संबंध में दिए गए आदेश व निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चन्द्र उत्तम व क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय के नेतृत्व में थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–41/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध, 3(2)अं, 3(2)ट एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवशंकर बाजपेई पुत्र हरवंश बाजपेई को मुखबिर की सूचना पर नहर पुलिया, नवाबगंज कस्बा से पहले वहद ग्राम बघमरी के पास से गिरफ्तार किया गया।

वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बताया गया कि लगभग एक वर्ष पूर्व वह एक मांगलिक कार्यक्रम में नृत्य करने गई थी, जहां अभियुक्त शिवशंकर बाजपेई से उसकी मुलाकात हुई। अभियुक्त द्वारा कार्यक्रमों में बुकिंग कराने के बहाने वादिनी से उसका मोबाइल नंबर लिया गया तथा धीरे–धीरे उससे संपर्क स्थापित कर उसके घर आना–जाना शुरू कर दिया। अभियुक्त ने वादिनी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इंकार करते हुए वादिनी को फोन कर भद्दी एवं जातिसूचक गालियां दी गईं तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।